प्रेषक,

मदन मोहन,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ दिनांक 31 जुलाई, 2023*

विषय:- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान सिंह पुत्र श्री सौदान सिंह निवासी जनपद-बदायूं की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-1840/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-17-01-2023) दिनांक-19-01-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान सिंह पुत्र श्री सौदान सिंह, कालूपुर, थाना-बिसौली, जनपद-बदायूं का रहने वाला है। दिनांक-06-07-2007 को बन्दी ने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर तमन्चा व बन्दूक से गोली मारकर वीरपाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी और 03 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1265/2008,34/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 में आजीवन कारावास व धारा-307/34 आई0पी0सी0 में 07 वर्ष कारावास एवं 25ए एक्ट में 02 वर्ष के कारावास की सजा से मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-1 बदायूं के आदेश दिनांक-26-09-2013 द्वारा दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.12.2022 तक 15 वर्ष, 04 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 05 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने से इनकार किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 06-07-2007 को बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर तमन्चा व बन्दूक से गोली मारकर वीरपाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं 03 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गए अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष ज्ञान सिंह पुत्र श्री सौदान सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान सिंह (बन्दी संख्या-47749) पुत्र श्री सौदान सिंह निवासी जनपद-बदायूं की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-466/2023/250/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन नं0-2169/2022 राजकुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के समादर में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-466/2023/250/22-2-2023-17(310)/2023

दिनांक 31 जुलाई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ज्ञान सिंह पुत्र श्री सौदान सिंह, कालूपुर, थाना-बिसौली, जनपद-बदायूं का रहने वाला है। दिनांक-06-07-2007 को बन्दी ने 04 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर तमन्चा व बन्दूक से गोली मारकर वीरपाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी और 03 अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1265/2008,34/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 में आजीवन कारावास व धारा-307/34 आई0पी0सी0 में 07 वर्ष कारावास एवं 25ए एक्ट में 02 वर्ष के कारावास की सजा से मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-1 बदायूं के आदेश दिनांक-26-09-2013 द्वारा दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.12.2022 तक 15 वर्ष, 04 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 05 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने से इनकार किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 06-07-2007 को बन्दी ने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर तमन्चा व बन्दूक से गोली मारकर वीरपाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी एवं 03 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गए अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष ज्ञान सिंह पुत्र श्री सौदान सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in